न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 06 / 2022

1 शीशराम पुत्र श्री किशनलाल जाति जाट निवासी ग्राम बागोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2 सोहनलाल पुत्र श्री भगवाना जाति कुम्हार निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 जगदीश प्रसाद पुत्र श्री भगवाना जाति कुम्हार निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
4 सांवतराम सैनी पुत्र श्री उमराव जाति माली निवासी नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
5 केशर सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बागोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.07.2017 उनवानी मुकदमा राजस्थान सरकार बनाम शीशराम आदि मु.नं. 77 / 2016 प्रार्थना पत्र धारा 177 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री झाबरसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 8/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 06/2022 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार उदयपुरवाटी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 717 वाके ग्राम काटलीपुरा प्रस्तुत किया आवेदन में कथन किया है कि प्रतिवादीगण ने अवैध बजरी खनन किया है। अतः आवेदन स्वीकार विवादित भूमि को सिवाय चक करने के आदेश प्रदान करें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 14.07.2017 से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील संख्या 126/2017 सोहनलाल की ओर से प्रस्तुत की गई थी। इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09.10. 2019 से प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमांड किया गया है। अब पुनः विचाराधीन प्रकरण में सहखातेदार शिशराम की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि न्यायालय ने इस प्रकरण का निस्तारण कानूनी प्रकिया को अपनाते हुए नहीं किया है क्योंकि दिनांक 14.07.2017 को पत्रावली अप्रार्थीगण के जवाब के लिये नियत थी परन्तु न्यायालय द्वारा पत्रावली को कैम्प जोधपुरा ले जाकर अप्रार्थीगण/अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 को बिना कोई सूचना दिये हुये ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया। राजस्व कैम्प में केवल आपसी सहमति वाले प्रकरणों का ही निस्तारण दोनो पक्षों की सहमति या राजीनामा के आधार पर किया जाता है। हल्का पटवारी जोधपुरा ने अपनी रिपोर्ट में भूमि खसरा नम्बर 717 रकबा 5.72 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 में अप्रार्थीगण/अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 द्वारा अवैध बजरी खनन कर खड्डे बनाना बताया है परन्तु उक्त रिपोर्ट अस्पष्ट है। इस रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने यह नही लिखा है कि इस खसरा नम्बर की कितनी भूमि में बजरी खनन किया गया तथा बजरी खनन कार्य कैसे किया गया है तथा भूमि में कितनी गहराई तक बजरी खनन का कार्य किया गया है तथा बजरी खनन क्या आज भी मौके पर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

हो रहा है। इस चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया है और हल्का पटवारी की रिपोर्ट में कोई अंकन नहीं किया गया है तथा इस रिपोर्ट पर ना तो खातेदारों के हस्ताक्षर है और ना ही मौके पर उपस्थित किसी मौतविरान के हस्ताक्षर मौका रिपोर्ट पर पटवारी हल्का ने करवाये है। इससे जाहिर होता है कि हल्का पटवारी ने अपने कार्यालय में ही उक्त रिपोर्ट राजनैतिक प्रभाव में आकर गलत तैयार की है। हल्का पटवारी ना तो मौके पर गया एव ना ही उसने खातेदारों को पाबन्द किया है। रिपोर्ट को अपने कार्यालय में ही बैठकर तैयार किया गया है जिसके आधार पर ही तहसीलदार उदयपुरवाटी ने प्रार्थना पत्र बेदखली धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है तथा इस प्रकरण में न्यायालय ने अप्रार्थीगण/अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 4 को अपना पक्ष रखने एवं अपना जवाब पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। पटवार हल्का ने इस प्रकरण में फर्द मौका रिपोर्ट पर तहसीलदार उदयपुरवाटी मौके पर उनके साथ गये हो तथा भूमि खसरा नम्बर 717 का निरीक्षण किया हो। मौके पर ही उसके द्वारा फर्द रिपोर्ट तैयार की गई हो, ऐसी फर्द रिपोर्ट में कोई अंकन नहीं है। न्यायालय ने अप्रार्थीगण/अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही केवल पटवारी रिपोर्ट को आधार मानते हुये अपना निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 717 रकबा 5.72 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 स्थित ग्राम जोधपुरा से कोई बजरी खनन कार्य नहीं किया है एव ना ही खड्डे इत्यादि किये है। खसरा गिरदावरी वर्ष 2071–2072 में भी हल्का पटवारी ग्राम जोधपुरा के हाल खसरा नम्बर 717 में अपीलान्ट द्वारा फसल काश्त करना बताया है। मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को दी गई है, उसमें खसरा नम्बर व रकबा में कांट छांट की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपने हक हिस्से की जमीन का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 16.07.2013 को कर दिया है। क्रयशुदा भूमि पर क्रय के रोज से रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का कब्जा काश्त है। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को आवश्यक पक्षकार होने से अपील में पक्षकार बनाया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार उदयपुरवाटी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 717 वाके ग्राम काटलीपुरा प्रस्तुत किया आवेदन में कथन किया है कि प्रतिवादीगण ने अवैध बजरी खनन किया है। अतः आवेदन स्वीकार विवादित भूमि को सिवाय चक करने के आदेश प्रदान करें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 14.07.2017 से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील संख्या 126/2017 सोहनलाल की ओर से प्रस्तुत की गई थी। इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09.10.2019 से प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमांड किया गया है। अब पुनः विचाराधीन प्रकरण में सहखातेदार शिशराम की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 77/2016 निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 126/2017 स्वीकार होकर प्रकरण रिमांड किया गया था। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 77/2016 पुनः दर्ज नम्बर 262/2019 दिनांक 15.10.2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने तथ्यों को छुपाकर अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार उदयपुरवाटी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 717 वाके ग्राम काटलीपुरा प्रस्तुत किया आवेदन में कथन किया है कि प्रतिवादीगण ने अवैध बजरी खनन किया है। अतः आवेदन स्वीकार विवादित भूमि को सिवाय चक करने के आदेश प्रदान करें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 14.07.2017 से आवेदन स्वीकार किया

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है। इससे व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील संख्या 126/2017 सोहनलाल की ओर से प्रस्तुत की गई थी।

इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09.10.2019 से प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमांड किया गया है। अब पुनः विचाराधीन प्रकरण में सहखातेदार शिशराम की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 77/2016 निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 126/2017 स्वीकार होकर प्रकरण रिमांड किया गया था। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 77/2016 पुनः दर्ज नम्बर 262/2019 दिनांक 15.10.2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील प्रभावहीन हो चुकी है।

अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा तथ्यों को छुपाकर अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर एवं प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 2/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार ...)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)